भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान-मंडल के एक साथ समवेत अधिवेशन में
बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री राम नाथ कोविन्द

का

अभिभाषण

4 दिसम्बर, 2015

बिहार विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ तथा अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। षोडश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के आरम्भ में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूँ। मेरी कामना है कि नवगठित बिहार विधान सभा का कार्यकाल राज्य में खुशहाली लाने और विकसित बिहार बनाने में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करेगा। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

2. अभी–अभी हमारे यहाँ शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके लिए बिहार की जनता को बधाई दी जानी चाहिए जिन्होने राज्य के विकास के एजेन्डे को स्वीकार करते हुए अपार बहुमत से सरकार का स्वरूप तय किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाकर बिहार में विकास के नये आयाम स्थापित करेगी। सरकार के प्रयासों को रचनात्मक आयाम देने में सबों का सहयोग अपेक्षित होगा।

3. राज्य सरकार, कानून का राज स्थापित रखने तथा न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित है। बिना कोई द्वेष या भेदभाव से कानूनी प्रावधानों एवं वैधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपराध पर नियंत्रण तथा अपराधियों को निष्प्रभावी करने के लिए ठोस व्यवस्था लागू है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और यही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।

4. बिहार में आज साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का माहौल है। हाल में ही सभी त्यौहार शांति, सौहार्द और आपसी भाई–चारे के माहौल में संपन्न हुए, जिसके लिए बिहार की जनता बधाई

की पात्र है। सुरक्षा एवं उत्साह के इस एहसास को आगे भी बनाये रखना है।

5. समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के सिद्धान्तों पर शासन की नींव स्थापित की गयी है। बिहार के विकास की यात्रा में चुनौतियाँ रही हैं, तो संभावनाएं भी रही हैं और उपलब्धियाँ भी हासिल हुई हैं। राज्य सरकार को इन सभी प्रयासों में जनता का भरपूर सहयोग एवं समर्थन मिलता रहा है।

6. राज्य में सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान कर रचनात्मक व्यवस्थाओं को विकासित किया गया है। इस सफर में जहाँ एक ओर प्रभावी विधि व्यवस्था, कानून का राज स्थापित करने में सफलता मिली, वहीं दूसरी ओर मानव संसाधन के साथ–साथ आधारभूत संरचना के विकास में कई नई ऊंचाइयाँ हासिल की गयी हैं। लोगों के मन में सुरक्षा एवं निश्चय का माहौल बना है, जिसका प्रभाव शहर तथा गाँवों के आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। समाज के कमजोर, साधनहीन एवं विकास से वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए बिहार में विकास की नई दिशा तय की गयी है। इन प्रयासों को आगे भी पूरी दृढ़ता के साथ बढ़ाया जाना है।

7. जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाकर भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार की मुहिम जारी रहेगी। कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था कर भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध प्रभावकारी कार्रवाई सुनिश्चित की गयी है। प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या के निदान के लिए बिहार लोक सेवा का अधिकार कानून लागू है जिसके तहत विभिन्न लोक सेवाओं को एक नियत समय सीमा के अन्तर्गत नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य की जनता को नियत समय–सीमा के भीतर लोक शिकायत निवारण का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को पारित

कराया गया है। पूरी व्यवस्था कर शीघ्र ही इस कानून को लागू किया जाएगा ताकि लोक शिकायतों का प्रभावी निवारण हो सके।

8. ठोस, अनुशासित एवं आधुनिक प्रशासनिक तथा वित्तीय संरचना को स्थापित करते हुए राज्य में विकास एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। योजनाओं एवं नीतियों का सूत्रण इस प्रकार से है कि विकास की ज्योति हर क्षेत्र एवं हर वर्ग तक पहुँचे। पिछले दस वर्षों में राज्य का औसतन वार्षिक विकास दर स्थिर मूल्य पर 10.2 प्रतिशत रहा है। योजना का आकार पिछले दस वर्षों में 4 हजार करोड़ से बढ़कर 57 हजार करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। इसी अवधि में राज्य के अपने कर राजस्व संग्रहण में 7 गुना की वृद्धि हुई है। बिहार की आबादी के 54 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे जो घटकर 33 प्रतिशत हो गये हैं। गरीबी में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी, यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास के लाभों में व्यापक हिस्सेदारी रही है और हमारा विकास समावेशी प्रकृति का है।

9. राज्य सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखती है, जिसके अनुरूप सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों का विकास करना है। बिहार की तरक्की और इसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए काम किया गया है और आगे भी किया जाएगा। कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश की जो नीतियाँ एवं कार्यक्रम हैं वे मजबूती के साथ जारी रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और महादलित, दलित, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के विकास तथा कल्याण की अनेक योजनाएं जो सफलतापूर्वक चल रही हैं, इन सभी को और सुदृढ़ करते हुये क्रियान्वित किया जाता रहेगा।

10. राज्य सरकार ने बड़ी जनसंख्या के संसाधन एवं क्षमता संवर्द्धन को दृष्टिगत कर शिक्षा पर शुरू से ध्यान केन्द्रित किया है। विद्यालय से

वंचित वर्गों का दाखिला सुनिश्चित कराने एवं लड़के, लड़कियों के बीच शिक्षा के अन्तर को दूर करने के लिए बहुआयामी रणनीति के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये, कक्षाओं की संख्या बढ़ायी गयी, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित की गयी और पुस्तक, पोशाक, साईकिल, प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति योजना चलायी गयी। इन सभी प्रयासों का समेकित परिणाम है कि स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी और स्कूल से वंचित बच्चों खासकर लड़कियों की संख्या में निरंतर कमी आयी है। टोलियों में साइकिल चलाकर विद्यालय जाती लड़कियाँ, बिहार के विकास एवं बदलाव की तस्वीर बनी हैं।

11. नागरिकों के जीवन में गुणात्मक सुधार के लिए स्वास्थ्य के महत्व को पहचानते हुए प्रारंभ से ही राज्य सरकार ने बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार किया। अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारक जैसे पोषण, साफ–सफाई, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल आदि के साथ जोड़ कर स्वास्थ्य व्यवस्था को विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल को एक क्रियाशील स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। अब सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में द्वितीय चरण के सुधार पर काम कर रही है ताकि लोगों को विशिष्ट चिकित्सा के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े और उन्हें विभिन्न बीमारियों की विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा राज्य में ही मिल सके।

12. बिहार में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर राज्य के हर सुदूर क्षेत्र से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस लक्ष्य को घटाकर 5 घंटे किया गया है और इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जायेगा। पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग दोनों ने मिलकर अब तक 66 हजार 5 सौ कि0मी0 से अधिक वृहद् और ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा उन्नयन किया है।

संपर्कता बढ़ाने हेतु 5500 से अधिक वृहद पुल का भी निर्माण कराया है। नई आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ–साथ उसके रख–रखाव के लिए भी नीति बनाई गई है। सरकार राज्य उच्च पथों, वृहद जिला पथों के साथ–साथ ग्रामीण पथों के अनुरक्षण पर भी काम कर रही है।

13. राज्य सरकार ने कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है क्योंकि आज भी राज्य की 89 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और जनसंख्या का 76 प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। किसानों को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाया गया और उस पर काम चल रहा है। कृषि रोड मैप में सभी महत्वपूर्ण अवयवों को शामिल किया गया है ताकि प्रथम हरित क्रांति से छूटे बिहार में इन्द्रधनुषी क्रांति लायी जा सके जो टिकाऊ तथा सदाबहार हो। इसके माध्यम से अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, गन्ना, जूट, मधु, मशरूम, दूध, मांस, अंडा तथा मछली के विकास हेतु इन्द्रधनुषी क्रान्ति लाने के लिए काम किया जा रहा है।

14. योजनाओं का लाभ उठा कर हमारे मेहनती किसानों ने राज्य में धान, गेहूँ एवं मक्का की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि की और बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। किसानों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ–साथ उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी दिलाया गया है, जिससे उनकी माली हालत सुधरी है।

15. राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पर्यावरण संरक्षण और संधारण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजना एवं राज्य योजना अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए अनुदान योजना लागू की गयी है। राज्य की सभी 141 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए वार्षिक तौर पर प्रोत्साहन स्वरूप "स्वच्छता सहायक अनुदान" आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा

उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निकायों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से मुख्यमंत्री "आदर्श नगर निकाय" प्रोत्साहन योजना लागू करने की कार्रवाई की जा रही है।

16. औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज राज्य में 306 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है एवं 183 इकाइयों की स्थापना का कार्य प्रगति में है। कुल मिलाकर लगभग 7560 करोड़ रू0 का निवेश हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण, कृषि यंत्र उद्योग एवं सूचना प्रावैधिकी उद्योग को थ्रस्ट एरिया मानते हुए प्रोत्साहन हेतु विशिष्ट नीतियाँ बनाई गई हैं। पर्यटन क्षेत्र एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए विशिष्ट नीतियों को बनाने का कार्य अंतिम चरण में है।

17. राज्य सरकार ने उच्च विकास दर को हासिल करने में समावेशी विकास के लक्ष्यों के साथ समझौता नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा दलित–महादलित, आदिवासी, अतिपिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सरकार की रणनीति उन सभी नागरिकों को सशक्त बनाने की रही है, जो तुलनात्मक रूप से वंचित हैं और हाशिए पर हैं। सभी को बराबरी का अवसर मिले ताकि वे इसका फायदा उठा सकें और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

18. अनुसूचित जाति, जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग के सभी बच्चों को तीन गुणा बढ़े दर पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। साथ ही पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग में एक लाख पचास हजार रूपये से कम आय वाले परिवार के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस वर्ष लगभग 2.5 करोड़ छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति, मेधावृत्ति एवं प्रोत्साहन आदि से अच्छादित किया जा रहा है। महादलित विकास मिशन के माध्यम से अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

19. सरकार ने प्रारंभ से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास पर बल दिया है और तालिमी मरकज, हुनर, विद्यार्थी प्रोत्साहन, शिक्षा ऋण एवं रोजगार ऋण आदि योजनाओं की सफलता इसका द्योतक है। साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करने की कड़ी में कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा रही है। अब तक कुल 4843 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है।

20. राज्य सरकार के प्रयासों से बहुत कुछ हासिल हुआ है, किन्तु आगे बहुत कुछ किया जाना है। प्रगति पथ के जिस माईलस्टोन पर आज राज्य पहुँचा है वहां से आगे बढ़ने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ नये संकल्प पर काम करना होगा। सरकार द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" कार्यक्रम को सुशासन का लक्ष्य पाने के लिए स्वीकार किया जा रहा है। समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए यह ठोस कार्यक्रम साबित होगा।

21. बिहार देश के सबसे युवा–बहुल राज्यों में से एक है, क्योंकि नयी पीढ़ी की आबादी हमारे राज्य में सर्वाधिक है। बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना राज्य के न्याय के साथ विकास की नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अतः युवाओं के लिये समेकित कार्य योजना तैयार करने का काम किया जाएगा। इस कार्य योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन हेतु स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड, रोजगार परामर्श तथा कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना, स्वयं सहायता भत्ता, युवा उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड एवं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में निःशुल्क वाई–फाई आदि कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाया जाना है।

22. राष्ट्र एवं राज्य के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उदेश्य से जिला एवं अनुमण्डल में उच्च,

व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जायेगी। जिला में जी.एन.एम. स्कूल, पैरा–मेडिकल इन्स्टीच्यूट, पॉलिटेक्निक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, अनुमण्डल में ए.एन.एम. स्कूल एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा राज्य में और नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जायेगी।

23. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। पूर्व से चल रही विभिन्न योजनाओं से गाँव एवं शहरों के आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में सकारात्मक बदलाव आया है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य सरकार चाहती है कि सभी लोगों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। राज्य के गाँव एवं शहरों में सभी घरों को पाईप जल आपूर्ति से जोड़ कर स्वच्छ पेय जल नागरिकों को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ–साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं महिलाओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था की जायेगी।

24. बिजली की स्थिति को सुधारने का काम राज्य सरकार ने चुनौती मानकर स्वीकार किया और इसमे उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। आज सभी जिला मुख्यालयों में औसतन 22–24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 14 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसी अवधि में राज्य में विद्युत आपूर्ति 700 मेगावाट से बढ़कर लगभग 3400 मेगांवाट पहुँच गयी है। उत्पादन, संचरण एवं वितरण प्रणाली के व्यापक सुधार हेतु 8 हजार करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं पर काम चल रहा है। अगले दो वर्षो में राज्य के बचे हुए सभी गाँवों एवं बसावटों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा। अगले चरण में राज्य सरकार अपने संसाधनों से वैसे सभी घर, चाहे गरीबी रेखा से उपर हों या नीचे, जिन्हें पहले से बिजली

का कनेक्शन नहीं है, को बिजली का कनेक्शन देगी ताकि हर घर रौशन हो जाये।

25. बिहार में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर सुदूर क्षेत्रों एवं लोगों को इससे जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत राज्य के शेष बचे सभी सम्पर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा एवं सभी गाँव तथा शहरों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जायेगा।

26. राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील है और यह इसकी प्रमुख नीतियों का अभिन्न अंग है। महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके विरूद्ध होने वाले भेदभावों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों तथा शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। इसके अलावे अनेक पहल जैसे महिला पुलिस थाना की स्थापना, महिला बटालियन का गठन, पुलिस सब–इन्सपेक्टर एवं कॉन्सटेबल की नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण तथा जीविका परियोजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन से लाखों महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की आमदनी बढ़ाने का अवसर मिला है। महिला सशक्तिकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

27. राज्य में तरक्की की रफ्तार को और तेज करने, उद्योगों का जाल बिछाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ देश की प्रगति में भी योगदान देने के

लिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना जरूरी है। यह राज्य का वाजिब हक है जो मिलना चाहिए।

28. आगे आने वाली हर चुनौती का सामना पूरे धैर्य और परिश्रम से करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। शासन एवं सत्ता में लोक संवाद तथा लोक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार चौमुखी विकास करना चाहती है ताकि बिहार विकास का नया मानक स्थापित कर देश की प्रगति में अपना योगदान दे और अपने गौरव को पुनर्स्थापित करे।

29. राज्य सरकार बिना कोई पूर्वाग्रह या भेद–भाव के राज्य की प्रगति के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करेगी। विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करता है। सरकार विपक्ष के मूल्यवान सुझावों का सम्मान करेगी और विपक्ष को साथ लेकर चलने का भरपूर प्रयास करेगी।

30. नवगठित बिहार विधान मंडल के इस एक साथ समवेत सत्र में आप सब ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में आप निष्ठापूर्वक सभी कार्यों को सम्पन्न करेंगे। मेरे द्वारा जिन कार्यक्रमों एवं संकल्पों की चर्चा की गयी है उसके आधार पर आधुनिक एवं विकसित बिहार बनाना ही हमारी सरकार का लक्ष्य है जिसमें आप सभी का सहयोग एवं योगदान अपेक्षित है।

।। जय हिन्द ।।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, एटना द्वारा मुद्रित
2015